[illegible]

- ✓ यदि संस्थान का [illegible] अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो छात्र संबंध में छात्रों [illegible] उत्तरदायी होगा। [illegible] शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा परिषद, [illegible] शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के नियम एवं शर्तों [illegible] संस्थान द्वारा [illegible] संस्थान के नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा।
- ✓ [illegible] के संस्थान में [illegible] अनुमोदन एवं अनिवार्य रूप से [illegible] करने होंगे।
- ✓ संस्थान में संचालित [illegible] अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा [illegible] अनुमोदन प्राप्त करने होंगे। [illegible] के पूर्व [illegible] अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा [illegible] संस्थान की [illegible] अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- ✓ [illegible] अनुमोदन प्राप्त करने हेतु समय-समय पर निर्गत परिपत्र आदेश नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्थान की अपनी वेबसाइट पर संस्थान की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की रजिस्ट्रेशन प्रति, पाठ्यक्रम, संस्था संचालन, शुल्क, छात्रवृत्ति, छात्रों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम आदि को अद्यतन रखना होगा।
- ✓ संस्थान की नियमावलियां तथा पाठ्यक्रम मानकानुसार उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न क्लबों के संचालन में संस्था आवश्यक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी होगी।
- ✓ संस्था पाठ्यक्रम के अंतर्गत [illegible] अनिवार्य पाठ्यक्रम को समाप्त करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण [illegible] पाठ्यक्रम के मानकानुसार [illegible] अनिवार्य [illegible] उपकरणों उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व संस्था [illegible] संस्था किसी अन्य कार्य के लिए कर्मचारी [illegible] संस्था किसी अन्य कार्य के लिए कर्मचारी [illegible] कार्य की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के परिसर अनावश्यक निर्माण के दौरान यदि संस्था में दुर्घटना, अग्निकाण्ड, उपद्रवादि एवं अन्य कारण संस्था [illegible] संस्था के [illegible] उत्तरदायी नहीं होगा तथा छात्रों के हित संस्था की उत्तरदायी होगी।
- ✓ समाचार कार्ड का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्डों का उपयोग किये जाने की स्थिति में निरस्तगत अनुमोदनपत्र संस्थाओं की जायेगी।

(रामभजन शाक्य)
सचिव

पृष्ठांकन: [illegible]

दिनांक: [illegible]

[illegible]
[illegible] ANAND INSTITUTE OF PHARMACY

(रामभजन शाक्य)
सचिव

सत्यापित

अधिक आयोजित शिक्षा परिषद्

(उच्च शिक्षा संस्थान)

संख्या- एसीएचईपी/ सम्बद्धता/2022/1**** संख्या/पृष्ठ: दिनांक: 20/08/2022

- सम्बद्धता पत्र -

अधिक आयोजित उच्चतरी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की कार्यकारी आयोजित अधिक परिषद्, नई दिल्ली द्वारा विनियम सं. 2012-13 के दिनांक 01/01/2013 को निर्धारित मानदंडों को अनुपालन करने पश्चात् दिनांक 20/08/2022 को अधिक आयोजित परिषद्, उच्च संस्थान के सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 20/08/2022 को अधिक आयोजित में सम्बद्धता समीति की बैठक संख्या-[illegible] में सम्बद्धता प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। अतः अधिक आयोजित परिषद् द्वारा अधिनियम संख्या 2012-13 के सम्बद्धता संस्थान विस्तार प्रावधानों के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान को सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

सम्बद्धता समीति की बैठक में दिये गये निर्णय के अनुसार ही निम्न संस्था को अधिक शिक्षा परिषद्, उच्च-शिक्षा संस्थान द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित पाठ्यों के अधीन सम्बद्धता पत्र (उच्च शिक्षा संस्थान) प्रदान की जाती है।

संस्था का नाम एवं पता : SHIVANSH INSTITUTE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र-2022-23 हेतु अधिकतम प्रवेश संख्या	परिषद् द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था द्वारा अधिनियम/विनियम/नियम/मानदंड/ मूल्य निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था द्वारा अधिक आयोजित शिक्षा परिषद् द्वारा उच्च अधिक शिक्षा परिषद् विनियमावली 2012 (शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रोग्राम विनियमावली) 2014 तथा समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं का अनुपालन करना होगा। उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा अधिक आयोजित शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क और समिति द्वारा निर्धारित शुल्क में भेद होने की स्थिति में अधिक आयोजित शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क ही मान्य होगा। अधिक आयोजित शिक्षा परिषद् के उच्च शिक्षा संस्थान (उच्चतर के अधिनियम) नियम सं. 2012-13 में सूचना के प्रावधान में समय-समय पर संशोधन द्वारा किये गये संशोधन (उच्चतर के अधिनियम संशोधनों) में सूचना के प्रावधान में समय-समय पर संशोधन अधिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी नियम 2020-21 हेतु नियम एवं शुल्कविवरण नियम संख्या 3, 11 और 12 पर परिपालन की जाएगी।

✓ संस्था में संचालन उच्च परिषद् परिषद् द्वारा अनुमोदित करनी की जानी चाहिए।

✓ संस्था की समस्त संपत्ति/ नियंत्रण/प्रबंधन के अनुसार नियम एवं सम्बद्धता प्रदान करना अनिवार्य है।

✓ संस्था द्वारा अधिक आयोजित शिक्षा परिषद् द्वारा अधिनियम/विनियम/नियम/मानदंडों/शर्तों/ अधिनियम, विनियम, नियम, उच्च शिक्षा संस्थान (उच्चतर के अधिनियम) नियम 2012, उच्च शिक्षा संस्थान (उच्चतर के अधिनियम) अधिनियम 2012 में निर्दिष्ट का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

✓ संस्थान की प्रोफाइल/प्रोस्पेक्टस/ब्रोशर/वेबसाईट में अनापत्ति प्रमाण हेतु अनुमोदित प्रारूप विवरण प्रदान आवश्यक होगा।

✓ संस्थान स्तर समिति, संस्थान द्वारा अपनी वर्तमान विद्यार्थियों/कर्मचारियों/संकायों/विभिन्न वर्ग विद्यालय, प्रशासनिक विभाग, राज्य/राष्ट्र स्तर समिति/परिषद, संस्थान स्तर प्रशासनिक विभाग/परिषद, संस्थान द्वारा अपनी स्वयं विकसित वेबसाईट, मोबाईल, सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लिये प्रस्ताव होगा।

✓ संस्थान स्तर समिति/प्रशासनिक विभाग/परिषद की संस्थान की वेबसाईट/ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस/मोबाईल/सोशल मीडिया में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने से पूर्व संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रोस्पेक्टस/ब्रोशर/वेबसाईट/मोबाईल/सोशल मीडिया में विद्यार्थी/कर्मचारी/संकाय/विभिन्न वर्ग विद्यालय/प्रशासनिक विभाग/परिषद/संस्थान स्तर समिति/संस्थान स्तर

अनुलग्नक

प्रशिक्षण अनुमतियाँ विचार समिति

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या - अनुमति/अनुमोदन अनुस्मारक 2021/10027 | अनुस्मरण दिनांक 20/08/2021

- अनुमतियाँ प्रदान -

प्रशिक्षण अनुमतियाँ विचार समिति, की दिनांकों 04,05,06 अगस्त 2021 की बैठकों द्वारा दिनांक 04.08.2021, 05.08.2021 तथा 06.08.2021 को आयोजित बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार प्रशिक्षण विचार समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अनुमोदन/अनुमोदन विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 10.08.2021 को परिषद कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन में संलग्नित संस्थानों के विवरण संलग्न हैं। विवरण में संस्थानों द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्हतांश की संख्याओं को अनुमोदन पूर्व में संचालित संख्याओं का अनुमोदन विस्तार/अनुमोदन/अतिरिक्त अतिरिक्त अर्हतांश वृद्धि/अतिरिक्त अर्हतांश वृद्धि/नये विषय संबंधी पूर्व सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन/अनुमोदन विस्तार 2021 किया जाने का विवरण दिया गया।

अनुमोदन/अनुमोदन विस्तार में दिनांक 04 जून 2021 तक दिनांक के अनुसार के नियम संख्या 40 प्रशिक्षण विचार परिषद, उ0 प्र0 अधिनियम, सन् 1991 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35 सन् 1991) के अधीन प्रशिक्षण एवं अर्हतांश परिषद संख्या 2(1) अनुमोदन विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्थान का कोड एवं नाम : 2020- AKASH INSTITUTE OF PHARMACY			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीईएवं/ या पीसीआई/आयोग परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित 2020 हेतु अनुमोदित अर्हतांश	
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

अनुमोदन की शर्तें

- संस्थान एआईसीटीईएवं/या पीसीआईआयोग द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगा।
- संस्थान उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण विचार परिषद नियम संख्या 7(4)(ए) उत्तर प्रशिक्षण विचार परिषद विनियमावली 1992, प्रशिक्षण विचार परिषद (संस्थान का पंजीकरण) विनियमावली 2000 तथा प्रशिक्षण विचार परिषद (संस्थान का पंजीकरण) विनियमावली 2000 के अधीन पंजीकृत संस्थान के रूप में कार्य करेगा। संस्थान के पंजीकरण संख्या 2019-20-0-0-0

कार्यालय,
अशासकीय विद्यालय परीक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या:- अप्रौप/परीक्षा सम्बद्धता/2020/1001 प्रयागराज: दिनांक 10-8-2020

-:सम्बद्धता क्रम-:

अशासकीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/माध्यमिक अशासकीय प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु विद्यालय स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राशिक्षण शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों को सम्बद्धता/उच्चतर सम्बद्धता प्रदान करने हेतु परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क के सापेक्ष परिषद के बैंक खाते में शुल्क जमा कराने के उपरान्त परिषद के पत्रांक 1/ प्रौपरि/ वित्त वर्ष 2020-21 के अनुसार प्रस्तुत आख्या के आधार पर सम्बद्धता/उच्च से माध्यमिक विद्यालयों को सम्बद्धता विस्तार/उच्चतर सम्बद्धता प्रदान किया जाता है। अतः इस वर्ष सम्बद्धता प्रदान की जाने का निर्णय लिया गया।

- उक्त के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। विद्यालय एवं अशासकीय माध्यमिक शाला सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में परिषद के बैंक खाते में शुल्क जमा कराने तथा परिषद कार्यालय में शुल्क जमा कराने के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाता है।

- किसी बैंक में जमाराशि रिसीपिंग इस अवस्था में अमान्य होगी। अतः सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी, उत्तर प्राशिक्षण शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के पूर्व के समस्त दिनांक 31 मार्च 2020-21 हेतु रीजनिशिक्षाओं द्वारा पूर्व वर्षवार अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में रीजनिशिक्षाओं द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार 31-8-2 वाद के उपरान्त अग्रिम पाठ्यक्रम/प्रवेश समाप्त के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर अग्रिम प्रवेश विस्तार-वेबसाइट विस्तार एवं एवं कार्यालयों से रीजनिशिक्षाओं द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुसार वर्ष सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

विवरण 10-08-2020 को अनुसार सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये अनुमोदन विवरण के अनुसार 1 जिला संख्या 10 अशासकीय उत्तर परिषद, के का सम्बद्धता प्रदान सत्र 2020-21 हेतु निम्नवत सूची के अनुसार 1 प्रकार एवं 1 अग्रिम अग्रिम क्रमांक हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	जिला संख्या	विद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	कक्षा	रीजनिशिक्षाओं द्वारा अनुमोदित संख्या	रीजनिशिक्षाओं द्वारा अनुमोदित प्रदान संख्या
					अग्रिम	अग्रिम
1	1001	[illegible] (Code:-[illegible]) (Ho-[illegible])	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ उक्त रीजनिशिक्षाओं/रीजनिशिक्षाओं द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का कृपया पालन करेंगे।
- ✓ उक्त प्रदान उत्तर प्राशिक्षण शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्राशिक्षण शिक्षा परिषद, प्रयागराज [illegible] द्वारा प्रदान निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे तथा [illegible] द्वारा प्रदान निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे तथा शिक्षा विभाग के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का शुल्क माफ करेंगे।
- ✓ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों के अग्रिम प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

[illegible]